

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/110/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/380

प्रवेश तिथि 06.09.2022

अपीलार्थी

श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा,
ग्राम-सैंथल, पोस्ट-प्रागपुरा वाया रैणी,
जिला-अलवर (राज.)-301702

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सक्षम प्राधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी,
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19.09.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 26.08.2022 के माध्यम से राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्र सं. 1506 दिनांक: 16.06.2022 पर आक्षेप कर न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 12/90/2022 का निर्णय किए जाने बाबत अनुरोध किया है।
4. अपीलार्थी के प्रा0पत्र दिनांक: 26.08.2022 का परीक्षण किया गया। उक्त प्रा0पत्र के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा, स्वयं के सूचना आवेदन दिनांक: 09.06.2022 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के स्थान पर धारा 5(4) के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने बाबत अनुरोध किया है जो कि एक अपील प्रा0पत्र ना होकर विविध प्रा0पत्र मात्र है जो कि सहवन से न्यायालय में अपील के रूप में दर्ज हो गया है।
5. चूंकि अपील प्रकरण संख्या 12/90/2022, न्यायालय द्वारा दिनांक: 23.08.2022 को पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका है जिससे प्रश्नगत प्रा0पत्र दिनांक: 26.08.2022 पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में उपलब्ध विविध अपील प्रावधानों का अवलोकन कर अपेक्षित कार्यवाही करे।
6. अतः प्रा0पत्र दिनांक: 26.08.2022 विविध प्रा0पत्र के आलोक में खारिज कर निस्तारित किया जाता है।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांक: 19.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)